लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स वशिष्ठ नारायण सिंह कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, जिला– कोडरमा (झारखंड) द्वारा किउल नदी स्थित मौजा– झिनौरा, रेत ब्लॉक संख्या– 05 (कुल क्षेत्रफल– 51.3 हेक्टेयर), प्रखंड+थाना– चानन, जिला– लखीसराय में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 25.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ई–किसान भवन, चानन ब्लॉक परिसर, जिला– लखीसराय** के प्रांगण में लोक–सुनवाई की गयी।

यह लोक–सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/ 2268/ 2023, दिनांक 02.02.2023 के आलोक में श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता एवं अपर दंडाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– "द टाइम्स ऑफ इंडिया", "हिन्दुस्तान टाईम्स", "दैनिक भास्कर" तथा "दैनिक जागरण" के माध्यम से दिनांक **21.04.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री एस.पी.राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बरौनी, बेगूसराय के द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतू लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतू अनुरोध किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतिश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एव कॉरपोरेट पर्यावरणीय दायित्व आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी स्थित मौजा– झिनौरा, रेत ब्लॉक संख्या– 05 (कुल क्षेत्रफल– 51.3 हेक्टेयर), प्रखंड+थाना– चानन, जिला– लखीसराय में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा वशिष्ठ नारायण सिंह कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 को इस खनन पट्टा के लिए वैधन्तिक स्वीकृत आदेश (LOI) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या– 05 में प्रतिवर्ष 6,37,146 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹29.40 करोड़ (नीलामी लागत सहित) अनुमानित है।

2. बालू खनन खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए हैं।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
4. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतू अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
5. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
6. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य संघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्रित किए गए खनिज (बालू) को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतू प्रतिदिन कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गो को जलमग्न नहीं होने देता खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाव
1.	श्री मंजीत कुमार, ग्राम– झिनौरा, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा इस योजना में स्थानीय रोजगार के अवसर पर जानकारी मांगी गई।	खनन के कार्य में गांव के आसपास के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मजदूर, ढुलाई, चालक, रात्रि प्रहरी आदि शामिल होंगे। इसके लिए कैम्प लगाकर तथा ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय लोगों को विभिन्न रोजगार की सूचना दी जाएगी।
2.	श्री गुलशन कुमार, ग्राम– झिनौरा, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय पूछा गया कि खनन कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्ग में पड़ने वाले निजी जमीन के लिए क्या मुआवजा देय है।	परियोजना प्रस्तावक के द्वारा आश्वासन दिया गया कि ग्राम सभा के माध्यम से मुआवजा के राशि का निर्धारण किया जाएगा।
3.	श्री राजेश कुमार, पिता– श्री सोनेलाल रजक, ग्राम– झिनौरा, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा बालू खनन से जो रेत सड़कों पर जमा होगा। इसके रोकथाम की के उपायों की जानकारी मांगी गई।	वृक्षारोपण धुलकणों को रोकने में सहायक है, इसलिए सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। रास्तों पर कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। स्कूल के समय में बालू ढुलाई नहीं किया जाएगा। साथ ही बालू का ढुलाई तिरपाल से ढक कर किया जाएगा जिसे धूलकणों का उत्सर्जन न्यूनतम किया जा सकेगा।
4.	श्री अमरजीत पासवान, पिता– श्री बहादूर पासवान, ग्राम– झिनौरा, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के सुझाव दिया गया कि बालू ढुलाई वाहनों की गति को नियंत्रित रखा जाए जिससे दुर्घटना की स्थिति न उत्पन्न हो।	खनन परियोजना में प्रयोग में आने वाले वाहनों पर खनन ब्लॉक संख्या अंकित किया जाएगा। साथ ही वाहनों पर कंपनी का नाम भी अंकित किया जाएगा।
5.	श्री दिलीप यादव, पिता– श्री रामदास यादव, ग्राम– झिनौरा, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा स्थानीय रोजगार तथा धूलकणों के नियंत्रण की जानकारी मांगी गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। रास्तों पर तीन बार जल छिड़काव किया जाएगा। साथ ही बालू को तिरपाल से ढक कर ही ढुलाई किया जाएगा। लोगों के रोजगार के लिए ग्राम सभा के माध्यक से लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
6.	श्री उपेन्द्र राम, ग्राम– झिनौरा, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के पूछा गया कि खनन से गांव का जलस्तर काफी नीचे चला गया	बालू खनन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि द्वारा 1 मीटर की गहराई तक की जाएगी। खनन का कार्य भूगर्भीय जल स्तर से नीचे नहीं

	है। इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे।	किया जाएगा। इसके साथ ही गांव के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए Rain Water Harvesting को प्रयोग में लाया जाएगा।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण हेतू वर्णित उपायों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
बेगूसराय।

अपर समाहर्ता
लखीसराय।

उपस्थिति सूची

सर्वश्री वशिष्ठ नारायण सिंह कंसट्रक्शन प्रा0 लि0, जिला– कोडरमा (झारखंड) के द्वारा लखीसराय जिला के अन्तर्गत किउल नदी स्थित मौजा– झिनौरा, रेत ब्लॉक संख्या– 05 (कुल क्षेत्रफल– 51.3 हेक्टेयर), थाना– चानन, जिला– लखीसराय में प्रस्तावित बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व ई–किसान भवन, चानन ब्लॉक परिसर, जिला– लखीसराय के प्रांगण में दिनांक 25.05.2023 (गुरूवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों एवं पदाधिकारीगण की स्वःहस्ताक्षरित उपस्थिति–

क्र0सं0	नाम / पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1	सुधांशु शेखर	अपर समाहर्ता एवं अपर जिला दंडाधिकारी, लखीसराय।	[illegible] 25/05/23
2	श्री एस॰ पी॰ राम, क्षेत्रीय पदाधिकारी	बि॰रा॰ प्र॰नि॰ पर्षद, बरौनी, बेगूसराय	[illegible]
3	रणधीर कुमार (MDO, Lakhisarai)	खनिज विकास पदा॰, लखीसराय	[illegible] 25/05/2023
4	प्रियंका कुमारी (BDO, Chanan)	Block, Chanan	Priyanka 25/05/23
5	मोनिका सिन्हा BPRO Chanan	Chanan Block	Monika 25/5/'23
6	Nitish Kumar प्रधा॰ [illegible]	Raja Bazar, Patna	Nitish Ku
7	दिलीप यादव	ग्राम- नोनगढ़ पो॰+थाना तेतरहाट जिला- लखीसराय	दिलीप यादव
8	GULSHAN KUMAR	Rampur	Gulshan Kumar
9	चन्द्र[illegible] कुमार यादव	झिनौरा	[illegible]
10	सुनील महतो	झिनौरा	लखीसराय
11	राजेश कुमार	झिनौरा	लखीसराय
12	अंकुश राज	रामपुर	Ankush raj
13	अशोक यादव	तेतरहट लखीसराय	अशोक यादव

14	अखिलेश कुमार	सिनौरा	लखीसराय
15	सुरेन्द्र कुमार	सिनौरा	लखीसराय
16	सन्टू कुमार	सिनौरा	सन्टू कुमार
17	छोटेलाल यादव	सिनौरा	लखीसराय
18	Santosh Kumar	सिनौरा	LAKHISARY.
19	विनय राउत	सिनौरा	लखीसराय
20	मनोज कुमार	सिनौरा	लखीसराय
21	शोभा देवी	सिनौरा	
22	सिद्धेश्वर महतो		सिद्धेश्वर महतो
23	केदार सिंह	सिनौरा	
24	कामेश्वर राम	तोलगढ़	कामेश्वर राम
25	ब्रह्मदेव मंडल	सिनौरा	ब्रह्मदेव मंडल
26	Mithlesh singh	Rampur	mithlesh
27	बबलू कुमार	सिनौरा लखीसराय	Bablu k
28	प्रहलाद राम	सिनौरा लखीस	प्रहलाद राम
29	ओमी राम	सिनौरा	
30	राहुल कुमार	सिनौरा	राहुल कुमार
31	प्रमिला देवी	सिनौरा	

32	Rakesh Kumar	"	Rakesh Kumar
33	Rajesh Kr Ranjan	JHinora	Rajesh Kr Ranjan
34	भोला यादव		भोलायादव
35	पंकज यादव	झिनौरा	पंकज यादव
36	Rahul Kumar	JHinora	Rahul Kumar
37	Parmod yadav	"	Parmod yadav
38	हीरा यादव	"	हीरा यादव
39	मुन्नी राम	झिनौरा	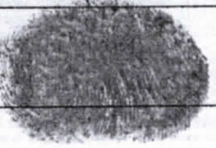
40	Pramanad Yadav	JHinora	Pramanad yadav